(2)

# कार्यालय परिसम्पत्ति अधिकारी
## गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
## उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

पत्रॉक: इस्टेट/आ0आ0स0/ 491

दिनॉक: 16/05/2024

## कार्यालय आदेश

आवास आंवटन समिति की दिनॉक 05.04.2024 को सम्पन्न बैठक में निम्नानुसार लिये गये निर्णयों को लागू किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है:

| | |
|---|---|
| 1. | एस0आर0एफ0,जे0आर0एफ0, पी0डी0एफ, टी0पी0 अथवा समकक्ष (संहत वेतन पर कार्यरत) कर्मियों को नियुक्ति पत्र की अवधि तक अलकनन्दा/भागीरथी भवन, व परिसर के अन्य भवनों में आवास आवंटन छः माह हेतु किये जाने की स्वीकृति/नवीनीकरण परिसम्पत्ति अधिकारी के स्तर से औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये किया जायेगा। |
| 2 | छात्रावासों के निकट अभिरक्षकों के आवासों पर अभिरक्षकों द्वारा न रहने के कारण, सहायक छात्रावास अभिरक्षक/ अन्य छात्रावासों के अभिरक्षकों को आंवटित किये जाने विषयक बिन्दु पर निर्णय लिया गया कि छात्रावासों के रिक्त आवासों पर सम्बन्धित छात्रावास के सहायक अभिरक्षक (नियमित शिक्षणेत्तर कर्मी) को सहायक अभिरक्षक की अवधि तक, आवास को आधी दरो पर आवंटित कर दिया जाये। कार्यकाल पूर्ण होने पर कर्मी की अर्ह श्रेणी का आवास आवंटित करते हुये दो माह में अभिरक्षक आवास रिक्त कराया जाये। दो माह उपरान्त यदि कर्मी आवास रिक्त नही कर पाता है तो पैनल दरों (प्रथम दो माह 8 गुना, अगले दो माह 16 एवं तदोपरान्त आवास रिक्त करने तक 32 गुना) से आवास किराया वसूल किया जाये। |
| 3. | जिन आवासों को तीन बार आवाटित करने के बाद भी कोई कर्मी लेने का इच्छुक नही है उनको एवं जिन आवासों में मरम्मत सम्बन्धी अत्यधिक कार्य हो उनमें एक समिति का गठन करते हुये जिसमें निदेशक, निर्माण एवं सयन्त्र/नामित एवं परिसम्पत्ति अधिकारी/नामित के स्तर से निरीक्षणोंपरान्त आवासों को अनुमन्य श्रेणी अथवा एक श्रेणी नीचे के कर्मियों से विकल्प प्राप्त कर आवंटन यथाशीध्र नियमानुसार कर दिया जाये ताकि आवासों की स्थिति खराब न होने पाये तथा विश्वविद्यालय को राजस्व की प्राप्ति हो सके। विकल्प से आवास परिवर्तन करने वाले कर्मी को यह सुविधा उस वेतनमान् में एक ही बार दिया जायेगा। मरम्मत के आधार पर आवास परिवर्तन करने पर मूल वेतन का 20 प्रतिशत जमा करना होगा। |
| 4. | वाह्य इकाईयों जैसे बैंक, ठेकेदार, दुकानदार आदि को व्यवसायिक दरो (आवास के सामान्य किराये की दोगुनी दरे) पर आवंटित आावासों के सापेक्ष आवास निरस्त होने अथवा अवैध अध्यासन अवधि में पैनल किराये की गणना सामान्य किराये (मानक किराये) से लिये जाने हेतु दिनॉक 11.01.2011 को सम्पन्न बैठक मे दी गई संस्तुतियों को यथावत् लागू किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तद्नुसार लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। |
| 5. | विश्वविद्यालय कर्मियों/विभिन्न स्कूलों के कर्मियों एवं अन्य वाह्य इकाईयों को आवंटित आवासों को चिकित्सकीय आधार पर परिवर्तन विषयक बिन्दु पर निर्णय लिया गया कि कभी-कभी कर्मिकों के वास्तविक चिकित्सकीय समस्याओं के दृष्टिगत भी आवास परिवर्तन किया जाना सम्भव नही हो पाता है ऐसी स्थिति में समस्त वि0वि0कर्मियों/विभिन्न स्कूलों के कर्मियों एवं वाह्य इकाईयों के नियमित कर्मियों से कम से कम मुख्य चिकत्साधिकारी के स्तर से जारी प्रमाण पत्र/संस्तुति एवं मूल वेतन का 30 प्रतिशत (अप्रतिदेय) जमा किये जाने के उपरान्त चिकित्सकीय आधार पर समान श्रेणी के आवास जिन पर 10 एवं 20 प्रतिशत की धनराशि जमा नही हो, परिवर्तित किया जायेगा। |
| 6. | श्री अशोक एवं श्रीमती मंजू स्वच्छक, श्री कलामुद्दीन, जिन्हें विकल्प के आधार पर उच्च श्रेणी/समान श्रेणी का आवास आंवटित था, को एवं वाह्य इकाईयों के कर्मियों को मरम्मत के आधार पर अन्य आवास आवंटित किये जाने विषयक बिन्दु पर निर्णय लिया गया कि मरम्मत के आधार पर आवास परिवर्तन निदेशक, निर्माण एवं सयन्त्र की संस्तुति के आधार पर वि0वि0 कर्मी अपने मूल वेतन का 25 प्रतिशत जमा करे तो उसे समान श्रेणी में जिन आवासों पर 10 एवं 20 प्रतिशत की धनराशि जमा नही हो, उन आवासों पर परिवर्तन की सुविधा प्रदान की जायेगी। |
| 7. | पति-पत्नी को सेवा मे रहने के दौरान एक ही आवंटित आवास में रहने की स्थिति में किसी एक के सेवानिवृत्त होने/अन्य कारणो से उक्त आवास को दूसरे के नाम अनुमन्यता के अनुसार आवंटित किये जाने विषयक प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि पति-पत्नी के सेवारत् होने पर किसी एक के सेवानिवृत्त होने पर दूसरे (पति-पत्नी) को वही आवास अनुमन्यता के आधार पर आवंटित किया जाये। पति या पत्नी में यदि समान श्रेणी न होने पर उनकी श्रेणी के अनुसार आवास आवंटित किया जायेगा। |

| | |
|---|---|
| 8. | ठेका कर्मियों हेतु विभाग को दो कक्षीय आवास आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि नियमानुसार ठेका कर्मियों के आवास श्रेणी के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या इस्टेट/534, दिनॉक 02.02.2018 मे स्पष्ट वर्णित है। अग्रेत्तर ठेका कर्मियो को उच्च श्रेणी के आवसों के सम्बन्ध में निर्णय कुलपति जी के क्षेत्राधिकार में है। |
| 9. | आवास संख्या 407, चिकित्सालय कालोनी में चिकित्सक हेतु आरक्षित किया गया है। आवास काफी समय (लगभग 2 वर्ष) से रिक्त रहने के कारण आवास की स्थिति जीर्ण होती जा रही है, के आवंटन पर विचार किये जाने विषयक प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि आवास रिक्त रहने के कारण आवास की स्थिति जीर्ण हो रही है। इस स्थिति से बचने के लिये दो टी0पी0 अथवा समकक्ष (महिला कर्मी) को आधा–आधा भाग छः–छः माह हेतु सशर्त आवंटित किया जाये कि भविष्य में यदि किसी चिकित्सक की नियुक्ति की जाती है तो उक्त आवास को रिक्त कराकर सम्बन्धित आवासितों को उनके लिये अनुमन्य श्रेणी के अन्य आवासों में शिफ्ट किया जायेगा। |
| 10. | ठेका कर्मियों हेतु आवंटित विभागीय आवासों पर एक ही परिवार के कई सदस्यो जैसें/पति–पत्नी/भाई–बहन/पिता–पुत्र–पुत्री/बहु–दामाद आदि को अलग–अलग आवास आंवटित आवासों पर निरीक्षणोपरान्त यदि कर्मी स्वयं आवासित नही पाया जाता है अथवा व्यवसायिक या अवैधानिक गतिविधियॉ पाये जाने पर आवासों को निरस्तीकरण की कार्यवाही करते हेयु आवास परिसम्पत्ति कार्यालय द्वारा तत्काल वापस ले लिया जायेगा। |
| 11. | ठेका कर्मियों/पुर्ननियोजित कर्मियों के विभागीय आवासों पर स्वीकृत न होने एवं नियमित एवं विभागीय आवासों को उपकिराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि यदि विभागीय आवासों पर सम्बन्धित कर्मी आवासित नही हो अथवा उसकी स्वीकृति समाप्त हो गई हो, तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष 30 दिन (एक माह) में आवास की देनदारी पूर्ण करते हुये आवास रिक्त कर परिसम्पत्ति कार्यालय में जमा करा दे एवं अपने स्तर से आवास परिवर्तन न करे, अन्यथा की स्थिति में एक समिति जिसमें निदेशक, निर्माण एवं सयन्त्र, सुरक्षाधिकारी एवं परिसम्पत्ति अधिकारी नामित द्वारा निरीक्षण कर आवास निरस्त करने की संस्तुति करेगे तथा विभागाध्यक्ष को सूचना देते हुये कि आगामी तीन कार्यदिवसों में विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करते हुये इविक्शन समिति के माध्यम से आवास रिक्त कराने की कार्यवाही की जायेगी। |
| 12. | समस्त स्कूल/वाइय इकाईयों के नये कार्मिकों को आवासीय सुविधा दिये जाने /आवास परिवर्तन पर निर्णय लिया गया कि समस्त स्कूलों/वाह्य इकाईयों के कार्मिकों को नियमानुसार आवास आंवटन की सुविधा देते हुये मूल वेतन का 25 प्रतिशत जमा कर समान श्रेणी के आवास परिवर्तन की सुविधा दी जा सकती हैं किन्तु जिन आवासों पर वि0वि0कर्मियों का 10 अथवा 20 प्रतिशत जमा हो, उन पर विचार नही किया जायेगा। |
| 13. | एस0आर0एफ0,जे0आर0एफ,यंग प्रोफेशनल, टी0पी0 आदि को स्वीकृति समाप्त होने के तीन माह तक रहने की स्वीकृति विषयक निर्गत कार्यालय आदेश संख्या इस्टेट/ 298 दिनॉक 05.09.2017 एवं इस्टेट/1561, दिनॉक 01.08.2019 को अक्रमित करते हुये एस0आर0एफ0,जे0आर0एफ,यंग प्रोफेशनल, टी0पी एवं समकक्ष को स्वीकृति समाप्त होने के मात्र एक माह तक सामान्य किराये पर रहने एवं ऐसे अस्थायी कार्मिक जिनके पाल्य परिसर में शिक्षारत् है उन्हें शिक्षा सत्र पूर्ण होने अथवा तीन माह, जो भी पहले हो (प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर) तक सामान्य किराये पर रहने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। |
| 14. | वि0वि0कर्मियों को आवंटित आवासों पर मरम्मत कराये जाने की समय सीमा तय किये जाने विषयक प्रकरण पर निर्णय लिया गया चूँकि 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के आधार पर कर्मी अपनी पसन्द का आवास आवंटित करवाता है तथा मरम्मत के नाम पर दो–दो आवासों पर कब्जा काफी समय तक बनाये रखता है जो उचित नही है। ऐसे प्रकरणों पर निदेशक, निर्माण एवं सयन्त्र की संस्तुति पर अधिकतम 3 माह तक ही सामान्य किराये पर पुराने आंवटित आवासं पर कब्जा कर्मी रख सकता है उसके उपरान्त नियमानुसार पैनल दरों (दो माह सामान्य किराये का 8 गुना, अगले दो माह सामान्य किराये का 16 गुना तत्पश्चात् सामान्य किराये का 32 गुना की दर से) किराया देय होगा। |
| 15. | वि0वि0 नियमित कर्मियों के अतिरिक्त अन्य समस्त संस्थानों के नियमित कर्मियों को आवंटित विभागीय आवासों के आवास किराया निर्धारण विषयक प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि परिसर में काफी कम दरों पर अन्य संस्थानों के कर्मियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध हो रही है ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के नियमित कर्मियों से इतर सभी संस्थाओ/बैंकों/स्कूलो/व्यवसाईयों के आवासितों को सामान्य किराये के 10 गुना किराये लिया जाना उचित होगा तथा इस निमित्त प्राप्त आय से कुछ सीमा तक मरम्मत का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा सकेगा साथ ही उक्त धनराशि से ही परिसम्पत्ति कार्यालय के कार्यालय व्यय आदि को वहन किया जायेगा। |
| 16. | 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के आधार पर आवास परिवर्तन हेतु समय सीमा का निर्धारण के विषय में निर्णय लिया गया कि वि0वि0 कर्मियों को सामान्तयः एक श्रेणी में केवल दो बार 10 प्रतिशत अथवा 20 प्रतिशत की सुविधा प्रदान की जा सकती है ताकि विश्वविद्यालय को राजस्व प्राप्त हो तथा कार्मिक को पसन्द का आवास आवंटित हो सके। 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के आधार पर आवास आवंटित होने पर तीन वर्ष उपरान्त पुनः यह सुविधा देय होगी। |

| | |
|---|---|
| 17. | डा0योगेन्द्र कुमार, अभिरक्षक, पटेल भवन का प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि अभिरक्षकों को कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार आवासीय सुविधा प्रदान की जानी चाहिये ताकि नये अभिरक्षक, अभिरक्षक आवास में आवासित हो सके। पूर्व में डा0कुमार को आवाटित आवास की स्थिति जीर्ण होने के कारण उन्हे यथाशीघ्र अर्ह श्रेणी का आवास इस प्रतिप्रबन्ध के साथ आंवटित कर दिया जाये कि उनके द्वारा अभिरक्षक आवास को दो माह में रिक्त कर परिसम्पत्ति कार्यालय में जमा किया जायेगा। |

उक्त आदेश कुलपति जी द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति दिनॉक 13.05.2024 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे है।

16/5

परिसम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष को विभागीय नोटिस बोर्ड पर अधीनस्थ हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण।
3. वित्त नियन्त्रक।
4. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित ।
5. लेखाकार, परिसम्पत्ति कार्यालय ।
6. कोरमैन,परिसम्पत्ति कार्यालय।